जमाराशि को वापस पाने के लिए Buds Act 2019 एवं उ.प्र.वि. अधि.जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 के तहत भुगतान का दावा एवं एफआईआर दर्ज कराने का प्रपत्र:

सेवा में,

श्रीमान सक्षम अधिकारी

(Buds Act 2019 एवं उ.प्र.वि.अधि.जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016)

कार्यालय का पता-अपर जिलाधिकारी

जिला एवं राज्य का नाम---------- उत्तर प्रदेश

विषय:- Buds Act 2019 एवं उ.प्र.वि.अधि.जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 के तहत अपनी डूबी हुई रकम को वापस पाने हेतु राज्य द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी के समक्ष भुगतान हेतु आवेदन।

महोदय,

1, निवेदन है कि मैं प्रार्थी/प्रार्थिनी का नाम ----------

पिता/पति का नाम----------

आयु----------

मोबाइल नम्बर ----------

पता----------

----------ने

2, पालसी नंबर----------

3, दिनांक ---------- को अपनी मेहनत की रकम

4, रुपया ----------

(राशि शब्दों में) ---------- जमा किया था।

5, उपरोक्त ठग कंपनी/सोसाइटी ने मेरी जमाराशि को धोखाधड़ी से ठग लिया है और अनेक बार भुगतान की मांग करने के पश्चात भी मेरी जमाराशि व अन्य लाभांशों का भुगतान नहीं किया है।

6, कंपनी व उसके प्रबन्धकों का यह कृत्य गैरकानूनी एवं Buds Act 2019 (अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019) की धारा 3, 4, 5 एवं 6 का उल्लंघन है जो Buds Act 2019 की धारा 21/3, 22, 23, 24, 25 एवं 26 के तहत एक दण्डनीय अपराध है और Buds Act 2019 की धारा 7 के तहत समुचित सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह ठग कंपनी/सोसाइटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके ठगी पीड़ित/जमाकर्ता/मुझ आवेदक की जमाराशि का भुगतान 180 कार्यदिवस में करे।

7, मैं प्रार्थी/प्रार्थिनी उपरोक्त कंपनी का जमाकर्ता हूँ और Buds Act 2019 एवं UP वि.अ.जमा.हित संरक्षण act 2016 के तहत कानूनी रूप से भुगतान का अधिकारी हूँ।

8, Buds Act 2019 एवं UPPID act 2016 की धाराओं का उल्लंघन एवं ठगी और धोखाधड़ी करने के बावत मेरा मुकदमा भी दर्ज कराएं

ठग कंपनी का विवरण निम्नांकित है:-

कंपनी/सोसाइटी का नाम- PACL INDIA LIMITED ------

रजिस्टर्ड पता 22 थर्ड फ्लोर , अम्बर टावर , संसारचन्द्र रोड , जयपुर , 302004

प्रशासनिक कार्यालय-7 पलोर , गोपालदास भवन , 28 बारा खम्भा रोड , नई दिल्ली , 110001

स्थानीय ब्रांच ऑफिस ----------

कंपनी/सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नम्बर 17-011577 ----------

कंपनी के डारेक्टर व CMD का नाम व पता

1. निर्मल सिंह भंगू CMD
2. सुखदेव सिंह
3. सुब्रत भटाचार्य
4. गुरुमीत सिंह
5. हरदयाल सिंह हिल्लो
6. संदीप सिंह महल
7. नरेन्द्र सिंह मेहता
8. त्रिलोचन सिंह
9. जोगेंद्र सिंह टाइगर
10. सिकंदर सिंह डिल्लो

प्रार्थना

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि Buds Act 2019 एवं उ.प्र.वि.अ.जमा हित संरक्षण अधिनियम 2016 के तहत मेरा भुगतान दावा स्वीकार कर ठग कंपनी/सोसाइटी के विरुद्ध आवश्यक दंडात्मक कानूनी कार्रवाई कंपनी/सोसाइटी व उसके संचालकों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 420, 406, 120बी, 409 व अन्य धाराओं के साथ साथ Buds Act 2019 की धारा 21, 21/3, 22, 23, 24, 25, 26 और प्राइज चिटस एन्ड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट 1978 एवं उ.प्र.वि.अ.जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराएं और कंपनी/सोसाइटी की व कंपनी/सोसाइटी से जुड़े प्रबन्धन व अन्य की चल अचल संपत्ति को कुर्क एवं नीलाम करवाकर मेरा भुगतान मय लाभांश व कानूनी हर्जे खर्चे के साथ तय समयावधि में कराएं। आपकी अति कृपा होगी।

घोषणा/शपथ

मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य एवं ठीक है और इसमें कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।

मैं आवेदक अपने दावे में आवश्यक संशोधन करने का/की अधिकारी हूँ।

बैंक खाता संख्या.....

IFSC code ..... बैंक नाम शाखा .....

ह./अं. प्राथी/प्रार्थिनी

वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने Buds Act 2019 "दि बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 और उ.प्र.वि.अ.जमा संरक्षण अधिनियम 2016,दि बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स रूल्स 2020" को अधिसूचित कर दिया है।

(Act Published in the gazette of india, extra, pt. ||, sec. 1, No 40, dated 31st july, 2019)

(Rules Vide S.O. 663(E), 12th February, 2020, published in the Gazette of india, Extra. Pt. ||, sec. 3(ii), No 604,

उक्त अधिनियम का उद्देश्य गैरकानूनी जमा योजनाओं को प्रतिबंधित करना, नियमित योजनाओं में डिफॉल्ट करने वालों और फर्जी जमा योजनाओं का प्रचार प्रसार करने वालों को दण्डित करना और जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण करते हुए पीड़ितों की जमाराशि का भुगतान सुनिश्चित करना अनिवार्य रूप से सम्मिलित है।

एक्ट की धारा 28 कहती है कि इस कानून का उल्लंघन संगीन और गैरजमानतीय अपराध है।

एक्ट की धारा 18 में Designated Court को यह अधिकार दिया गया है कि वह 180 कार्यदिवस में ट्रायल क- प्लीट कर कानून का उल्लंघन करने वालों की चल अचल संपत्ति को सक्षम प्राधिकरण के द्वारा नीलाम करवाकर पीड़ितों का धन वापस कराएगा और दोषयों पर ठगी गई रकम के दो गुणे से तीन गुणा तक जुर्माना अधिरोपित करेगा और उन्हें 10 वर्ष बीतक का कठोर कारावास देगा। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक इस कानून को दिनांक 21 फरवरी 2019 से प्रभावी बनाया गया है।

मिचोरटी व व्याज सहित सम्पूर्ण धन राशि अंको में ----------

सब्दो में ----------